

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 03.03.2026

### शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

**पीआरवी 5995 द्वारा मोटरसाईकिल और ई-रिक्शा की टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों भेजवाया गया अस्पताल-**

पीआरवी 5995 को थाना मेंहदावल क्षेत्रांतर्गत छपिया से कालर द्वारा मोटरसाईकिल और ई-रिक्शा की टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल

02 व्यक्तियों (01.सौरभ शर्मा पुत्र सूर्यभान शर्मा निवासी टूण थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर 02. सूरज शर्मा पुत्र अनिल शर्मा निवासी

भण्डारे थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर ) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर

पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को पीआरवी वाहन से ही ईलाज हेतु सीएचसी मेंहदावल ले जाया गया। घटना के सम्बन्ध में मेंहदावल को

अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को पीआरवी

ईलाज हेतु अस्पताल पहुँचाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- का0 रणबीर कुमार कृष्णा, का0 अविनाश गौड़, हो0चा0 सूभाष चन्द्र मौर्य।

### मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 206 वाहनों से 202,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 03.03.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी

निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 206 वाहनों से 202,000 रु0 सम्मन

शुल्क वसूल किया गया।

**\*थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार\***

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री संदीप कुमार मीना\* द्वारा

चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री सुशील कुमार सिंह\* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल \*श्री सर्व

दवन सिंह\* के निकट पर्यवेक्षण में \*थाना मेंहदावल पुलिस\* द्वारा मु0अ0सं 71/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना मेंहदावल जनपद

संतकबीरनगर के मामले में वाँछित अभियुक्त सोनू बनारसी यादव पुत्र निवासी सिक्टर थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक

03.003.2026 को बस स्टेशन गेट के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 01.03.2026 को थाना मेंहदावल पर वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व

दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला

अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 03.03.2026 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय

न्यायालय रवाना किया गया।

\*गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण\*- उ0नि0 श्री अखलाक अहमद, का0 धर्मेन्द्र यादव।